

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर



कार्यालय आदेश संख्या - 453/NG/2020/MPEC/SPJ

श्री मणिकेश कुमार, पुत्र -श्री धनराज यादव, सलोपा/विजयवाडा मंडल, वेतनमान- 5200-20200+2400, (लेवल-4) जिनका अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण महाप्रबंधक (कार्मिक)/ सिकन्दराबाद का पत्र संख्या - SCR/P/HQ/223/M7/IRRT दिनांक 30.04.2018 एवं इस मंडल के पत्र सं0- का/111/283/ यॉ(पावर)/सलोपा/निजी अनुरोध स्था./पार्ट 111, दिनांक-30.07.2018 द्वारा स्वीकृत हैं एवं मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/विजयवाडा का पत्र संख्या-SCR/P.BZA/222/III/Rg/ALP/IRRT, Dated 12.09.2020 के द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 14.09.2020 को जो एनओसी जारी होने की तिथि से 01 वर्ष 04 माह बाद इस कार्यालय में रिपोर्ट किये है, को इस कार्यालय के पत्र सं- का/111/283/ यॉ(पावर)/सलोपा/निजी अनुरोध स्था./पार्ट 111, Dt- 14.09.2020 द्वारा उनके पूर्व के मंडल में वापस कर दिया गया था।

पुनः मंडल रेल प्रबंधक महोदय/सम0 के आदेश के अनुपालन में श्री विजय कुमार, सलोपा वेतनमान 5200 - 20200 + 1900, लेवल-2 के पद पर CCC/NKE के अधीन NKE में पदस्थापित किया जाता है। को इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 14.09.2020 को प्रतिक्षारत अवधि तथा दिनांक- 15.09.2020 को एलएपी एवं दिनांक-16.09.2020 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक प्रतिक्षारत अवधि मानी जाएगी।

उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध पर है, अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

श्री मणिकेश कुमार, का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



(चन्द्रकिशोर)
सहायक कार्मिक अधिकारी-11
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का0)
समस्तीपुर

का/111/283/यॉ(पावर)/सलोपा/निजी अनुरोध स्था./अ.म.अ.रे/पार्ट 111, दिनांक-16.09.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/दक्षिण मध्य रेलवे/विजयवाडा, पिन कोड - 520001, कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0 एवं सेवा अभिलेख विधिक्षणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजें।
2. Sr. DEE/TRD/समस्तीपुर
3. वमविप्र./समस्तीपुर
4. CCC/NKE -कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे।
5. मुकार्याधी/यॉत्रिक संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
6. मुकार्याधी/विविध बिल-कार्यालय में।
7. मुकार्याधी अनुश्रवण प्रकोष्ठ
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी-आप CCC/NKE को रिपोर्ट करे।
10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (का0)
समस्तीपुर

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर